फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना कादरीगेट

दिनांक :- 04.09.2023

थाना कादरीगेट/एस0ओ0जी0 टीम द्वारा मु0अ0सं0 187/23 में नामजद/वांछित/25000-15000 रू0 पुरुस्कार घोषित 02 अभियुक्तगणो को किया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री प्रशान्त कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ श्री विकास कुमार के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रदीप सिंह के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कादरीगेट/एस0ओ0जी0 टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0स0- 187/23 धारा 147/504/506/186/332/353 भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना कादरीगेट से सम्बन्धित क्रमशः नामजद/वांछित/25000-15000 रू0 ईनामिया अभियुक्तगण 1. आशीष प्रताप सिंह उर्फ सचिन ठाकुर पुत्र प्रीस चन्द्र उम्र 24 वर्ष निवासी चिलसरा थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ हाल पता नरायनपुर थाना कादरी गेट जनपद फतेहगढ 2. अमित ठाकुर पुत्र रघुपाल सिंह उम्र 27 वर्ष निवासी भूकनपुर ताजपुर थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ को टिकुरियन नगला जाने वाली सड़क सेण्ट्रल जेल के पीछे वाली दीवार के किनारे से गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. आशीष प्रताप सिंह उर्फ सचिन ठाकुर पुत्र ग्रीस चन्द्र उम्र 24 वर्ष निवासी चिलसरा थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ हाल पता नरायनपुर थाना कादरी गेट जनपद फतेहगढ
2. अमित ठाकुर पुत्र रघुपाल सिंह उम्र 27 वर्ष निवासी भूवनपुर ताजपुर थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ

पूछताछ का विवरण:- पूछताछ करने पर अभियुक्तगणों द्वारा बताया है कि दिनांक 20.08.2023 की रात्रि थाना कादरीगेट पर फायरिंग तथा मारपीट की झूठी सूचना देना व दौराने जांच चौकी इंचार्ज आईटीआई व हमराही पुलिस बल से गाली गलौज , जान से मारने की धमकी व अभद्रता , सरकारी कार्य में बाधा , व आमजनमानस में भय व्याप्त करना स्वीकार किया गया है , तथा पूर्व में भी अभियोग पंजीकृत हैं।

अभियुक्त आशीष प्रताप सिंह उर्फ सचिन ठाकुर का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 226/20 धारा 498ए/504/506 आईपीसी व 3/4 डीपीएक्ट थाना शमशाबाद जनपद फतेहगढ़।
2. मु0अ0सं0 382/21 धारा 353/507 आईपीसी थाना मऊ दरवाजा जनपद फतेहगढ़।
3. मु0अ0सं0 872/16 धारा 4/21 खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 थाना कोतवाली फर्रूखाबाद जनपद फतेहगढ़।
4. मु0अ0सं0 198/20 धारा 186/353 आईपीसी व 21(1)/4(A) खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।
5. मु0अ0सं0 97/23 धारा 379 आईपीसी थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़।
6. मु0अ0स0- 187/23 धारा 147/504/506/186/332/353 भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़।
7. मु0अ0सं0 259/22 धारा 147/323/452/504/506 आईपीसी थाना मोहमदावाद जनपद फतेहगढ़।
8. मु0अ0सं0 97/23 धारा 379 आईपीसी, थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़।
9. मु0अ0सं0 20/2021 धारा 352/504/506 भादवि0 थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़।

अभियुक्त अमित ठाकुर पुत्र रघुपाल सिंह का आपराधिक इतिहास:-

मु0अ0स0- 187/23 धारा 147/504/506/186/332/353 भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना कादरीगेट।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री विनोद कुमार शुक्ल थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़
2. निरीक्षक श्री अमित गंगवार प्रभारी एसओजी प्रभारी फतेहगढ़
3. निरीक्षक अपराध श्री चन्द्रिका प्रसाद थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़
4. हे0का0 कौशलेन्द्र नारायण थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़
5. का0 अनुज कुमार थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़
6. हे0कां0 गजराज सिंह SOG टीम फतेहगढ़
7. हे0कां0 पुष्पेन्द्र विक्रम सिंह SOG टीम फतेहगढ

मीडिया सेल फतेहगढ़।

फतेहगढ़ पुलिस

कामयाबी | सर्वाधिक पॉक्सो एक्ट में सुनायी गईं सजा, थाना पुलिस व अभियोजन की टीम को लगाकर मुकदमों की पैरवी में सक्रियता दिखाई

दो माह में 58 मुकदमों में 74 आरोपितों को सजा दिलाई

फर्रुखाबाद, संवाददाता। आपरेशन कन्विक्शन में अपने जिले की पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। अपराधियों पर शिकंजा कसने के इरादे से शुरू किए गए इस अभियान में दो माह में कल 58 मुकदमों में 74 को सजा करायी गयी है।

थाना पुलिस और अभियोजन की टीम को लगाकर मुकदमों की पैरवी में जो सक्रियता दिखायी गयी है उसके अपेक्षित परिणाम आ रहे हैं। अपराधियों के प्रति शासन की जीरो टालरेंस के तहत शिकंजा कसा जा रहा है। अपराधियों पर सख्ती करने के इरादे से ही आपरेशन कन्विक्शन शुरू किया गया। जुलाई और अगस्त माह के इस अभियान पर नजर डालें तो बेहतर परिणाम दिखायी दे रहे हैं। जुलाई माह में सेशन कोर्ट से 18 मुकदमों में 28 को सजा दिलायी गयी है तो लोअर कोर्ट से 12 मकदमों में 12 को सजा दिलवायी गयी है। अगस्त माह में सेशन कोर्ट से 14 मुकदमों में 20 को सजा और लोअर कोर्ट से 14 मुकदमे में 14 को ही सजा दिलवायी गयी है। अगस्त माह में पॉक्सो, गैंगिस्टर, जानलेवा हमले, दहेज उत्पीड़न, एससीएसटी एक्ट, आर्म्स एक्ट, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम में अदालत से सजा हुयी है।

आपरेशन कन्विक्शन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले पुलिस कर्मी।। • हिन्दुस्तान

30 मुकदमों में जुलाई माह में 40 को सजा।

28 मुकदमों में अगस्त माह में 34 को सजा दिलाई गई

- 7 पाक्सो के मुकदमों में भी हुयी है आरोपितों को सजा
- थाना पुलिस और अभियोजन की टीम ने दिखाई सक्रियता

" थाना पुलिस और अभियोजन की टीम ने मुकदमों में लगातार पैरवी की है। दो माह के जो परिणाम आये हैं इससे पुलिस का हौसला बढ़ा है। आगे भी पूरी सक्रियता के साथ टीम काम करेगी।- **विकास कुमार**, पुलिस अधीक्षक

इन कर्मियो का रहा सराहनीय योगदान: अभियोजन और पुलिस का बेहतर समन्वय का ही परिणाम रहा कि मुकदमों की बेहतर पैरवी हुयी। इस कार्य में इंस्पेक्टर मिर्जा सदरे आलम वेग, दीवान अजय कुमार सिंह, विवेक, रीना, नीतू का सराहनीय योगदान रहा है। पूरी सक्रियता के साथ जुटकर मुकदमों की पैरवी में अपना योगदान दिया।

मीडिया सेल

GPS Map C
Shamshabad, Uttar Pradesh, India